राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006
फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676,
वेबसाईटः www.rajexcise.gov.inई–मेल : purchasersgsm@gmail.com

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मदिरालयों पर
मदिरा परिवहन कार्य हेतु दर संविदा

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये

द्वि–भाग निविदा

भाग– प्रथम

तकनीकी निविदा

निविदा कमांक–आरएसजीएसएम/मुख्या./मदिरा परिवहन/खुली निविदा/2017–18/128 दिनांक 15.09.2017

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय	:	दिनांक 16.10.2017 को सायं 6.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 16.10.2017 को सायं 6.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 17.10.2017को सांय 4.30 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र + जी.एस.टी 18%
निविदा प्रोसेसिंग मूल्य	:	रूपये 1000 मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006
फोन न0 : 0141–2740841,फैक्स न0 : 0141–2740676

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक–आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा परिवहन / खुली निविदा / 2017–18 / 128

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन विभिन्नमदिरालयों पर मदिरा परिवहन हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति / फर्म / कंपनी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

कार्य	अनुमानित व्यय	निविदा प्रपत्र शुल्क / प्रोसेगिस फीस	बोली प्रतिभूति राशि	बोली की वैधता अवधि	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
20 मदिरालयों पर मदिरा परिवहन कार्य के लिये निविदा	रू. 8.00 लाख से 16.00 लाख तक प्रति मदिरालय	रू. 1000+ GST 18% मात्र रू. 1000 मात्र	अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत (मदिरालय वार विवरण एनेक्सर एफ पर देखें)	90 दिवस	दिनांक 16.10.2017 सायंकाल 6.00 बजे तक	दिनांक 17.10.2017 को सांय 4.30 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर

2. निविदा विभिन्न मदिरालयों के लिये इकजाई आमंत्रित की गई है। निविदा में दर संबंधित मदिरालय के लिये देनी होंगी। कोई भी निविदादाता एक या एक से अधिक या सभी मदिरालयों के लिये दर प्रस्तुत (quote) कर सकता है। किसी मदिरालय से आपातकालीन परिस्थितियों में संबंधित डिपोज के अलावा अन्य स्थान पर भी मदिरा परिवहन किया जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिये परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर मूल्य निविदा में अलग से अंकित करनी है। मदिरालय से संबंधित सभी डिपो के लिये दरें एकमुश्त देनी होगी।
3. यदि निविदादाता किसी एक मदिरालय के लिये ही इच्छुक है तो बोली प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। व सफल निविदादाता घोषित होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एक मदिरालय के लिये ही देनी होगी। यदि निविदादाता एक से अधिक मदिरालयों या सभी मदिरालयों के लिये इच्छुक है तो उसी अनुसार बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि तदनुसार देनी होगी।
4. मदिरालय से जुड़े हुये डिपोज के लिये एकमुश्त तथा अन्य स्थानों के लिये प्रति किलोमीटर में दर देनी है।
5. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी निविदा में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.rajexcise.gov.in or www.sppp.raj.nic.inपर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. निविदा प्रपत्र का मूल्य **रू. 1000+** GST 18%**मात्र** एवं **बोली प्रतिभूति राशि** जिसे **RSGSM Ltd. payable at Jaipur**के पक्ष में जारी **डी.डी. / बैंकर्स चैक** द्वारा 16.10.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा। अन्यथा बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी। साथ ही प्रोसेस फीस की राशि रू. **1000 / –**, **MD, RISL, payable at Jaipur** के पक्ष में जारी **डी.डी. / बैंकर्स चैक** द्वारा दिनांक 16.10.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में अनिवार्यतः जमा कराना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

8. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।
9. निर्धारित तिथि एवं समय अपलोड की गई निविदाओं को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।
10. तकनिकी निविदा के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग का पंजीकरण/आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां कंपनी मुख्यालय में निविदादाता को प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।
11. निविदादाता की तकनिकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी, तथा वित्तीय निविदा खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से निविदादाता को प्राप्त हो जावेगी।
12. संबंधित सफल निविदादाता को 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा, व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के समय जमा करानी होगी।
13. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये निविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
14. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
16. ***कम्पनी मुख्यालय में ऑफलाईन केवल निविदा शुल्क, निविदा प्रासेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं शपथ पत्र ही प्रस्तुत किये जावें। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें। साथ ही निविदादाता यह भी सुनिश्चित करें कि निविदा संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।***

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	
परिचय	
निविदा क्रमांक	आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा परिवहन/खुली निविदा/2017–18/128
उपापन संस्थान	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड
उपापनीय सेवा का विवरण	मदिरालयों पर मदिरा परिवहन कार्य
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1000 + GST@18% का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा प्रोसेसिंग का मूल्य	रू. 1000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व/तक पहुंचाना अनिवार्य है।
निविदा जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है	उप महाप्रबंधक (क्रय) , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर। फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676 ई–मेल : purchasersgsm@gmail.com
प्री बिड बैठक	हाँ , 25.09.2017 प्रातः 11.00 बजे
बिड की भाषा	हिन्दी व अंग्रेजी
निविदादाता को बिड के साथ संलग्न करना है–	निविदा की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार
दरों की वैधता अवधि	तकनीकी निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस
बोली प्रतिभूति राशि	एनेक्सर 'एफ' में वर्णितानुसार
अधिकृत करना	निविदादता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॅार्नी या अधिकृति पत्र
निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करना	rajexcise.gov.in or sppp.raj.nic.inपर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
निविदा डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 16.10.2017 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 17.10.2017 सांय 4.30 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर।
वित्तीय निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय	ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी
अवधि जिसमें जमानत राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है	कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता	संचालक मंडल, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लि0
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

मैं/हम ....(व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत . ...(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम ——————————————————

——————————————————

——————————————————

कार्यालय पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

फैक्ट्री का पता ——————————————————

——————————————————

——————————————————

दूरभाष संख्या कार्यालय ....

निवास ....

फैक्ट्री ....

फैक्स ....

ई–मेल ....

मोबाईल ....

वैधानिक विवरणः–

माल एवं सेवाकर पंजीयन संख्या (GSTIN)——————————————————

पैन नंबर ——————————————————

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ ————————————————————

बोली प्रतिभूति राशि मय मदिरालय का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ————————————————————

डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक राशि ————————————————————

निविदादाता का बैंक का नाम ————————————————————

बैंक खाता संख्या ————————————————————

बैंक आरटीजीएस न0 ————————————————————

हस्ताक्षर ————————————————————

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ————————————————————

नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited

4th Floor, Nehru Sahkar Bhawan,Bhawani Singh Road, Jaipur – 302 006 (Rajasthan)

निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि आरएसजीएसएम कार्यालय, नेहरू सहकार भवन में नियमानुसार जमा करानी होगीः–

क्र. सं.	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	1000+ GST 18%	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd.Jaipur
2	अमानत राशि*	2%अनुमानित मूल्य का	डिमाण्ड ड्राफ्ट	RSGSM, Ltd.Jaipur
3	ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	1000 /-	डिमाण्ड ड्राफ्ट	Managing Director, RISL, Jaipur

*10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रूपये 10.00 लाख से अधिक धनराशि ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी द्वारा उपरोक्त राशि निविदादाता द्वारा आरएसजीएसएम, मुख्यालय, जयपुर में दिनांक **16.10.2017** को **सांय 6.00** बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

2. निविदा में सभी संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3. ई–टेन्डरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश

अ. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-II), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ब. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

द. कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

य. टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाईन निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

ल. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में भौतिक रूप में निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता के लिये ई–निविदा प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2017—18 में विभिन्न मदिरालयों पर मदिरा परिवहन कार्य हेतु निविदा के संबंध में विशेष शर्तें

टिप्पणी—लोक उपापन के संबंध में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012'' एवं ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013'' प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।

1. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिये मदिरालयों पर समस्त मदिरालयों पर मदिरा परिवहन हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई—निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न अनुसूची ''एफ'' अनुसार बिड सिक्योरिटी की राशि बैंक ड्राफ्ट जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के नाम देय हो जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को कार्य करने से पूर्व अनुबंध निष्पादन के तहत अनुमानित राशि की 5 प्रतिशत राशि जमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। जमानत राशि में निविदा के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि को समायोजित किया जा सकेगा तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के 60 दिवस पश्चात लौटायी जायेगी।
3. कुल निविदा मात्रा अनुसार रूपये 369.47 लाख धनराशि का आकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत अमानत राशि के आधार पर सम्पूर्ण निविदा मात्रा पर अमानत राशि रूपये 7.39 लाख बनती है। निविदादाता द्वारा ऑफर मात्रा के मुल्य की 2 प्रतिशत अथवा निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार अमानत राशि (Bid Security) जमा कराई जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा की अमानत राशि (Bid Security) जमा कराई जावें। उक्तानुसार जमा अमानत राशि के आधार पर निविदा के ऑन—लाईन स्वीकार नही होने की स्थिति में अमानत राशि के कॉलम में रूपये 7.39 लाखवर्णित करें तथा उक्तानुसार गणना करते हुये निविदा शर्तो में वर्णित अनुसार वास्तविक अमानत राशि का डी.डी./ बैंक गारन्टी की स्केन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
4. प्रभारी मदिरालय (संबंधित). द्वारा जितनी संख्या में प्रतिदिन, मदिरा की सप्लाई के लिए ट्रक मांगे जावे, की व्यवस्था निरन्तर की जानी होगी। अत्यावश्यक होने पर मांग के तीन घंटे के अंदर भी वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिदिन प्रातः मदिरालय खुलने पर अनुबंधदाता स्वयं/ प्रतिनिधि को मदिरालय में जाकर ट्रकों की मांग नोट कर डिमान्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे।
5. यदि सफल निविदादाता द्वारा समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तो कम्पनी खुले बाजार से सफल निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर ट्रक किराये पर लेगी व किराये में जो भी अन्तर होगा एवं अन्य हानि की राशि की वसूली सफल निविदादाता से उसको देय राशि अथवा जमानत राशि में से की जायेगी।
6. सफल निविदादाता को ट्रक हॉल्टेज का कोई चार्जेज देय नहीं होगा।
7. दरें मदिरालय से उसके अधीन विभिन्न डिपोज तक के लिये देनी है। दरें केवल 9टन क्षमता (625 पेटी हेतु) के वाहन द्वारा परिवहन हेतु देनी है। दरें एकतरफा दूरी के मद्देनजर दी जावे तथा अंकित दरों में काट छॉट नहीं की जावे।
8. मदिरा को ले जाने हेतुप्रयुक्त केवल 9टन क्षमता वाले वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत वैध एवं अधिकृत रूप से संचालित होने चाहिये।
9. सफल निविदादाता के द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिलों से नियमानुसार केन्द्रीय व राजकीय करों की वैधानिक (जैसे आयकर, जी.एस.टी आदि यदि लागू हो तो) कटौती बिलों से करके ही भुगतान किया जावेगा तथा कोई राशि वसूली योग्य रह जाती है तो उसे जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

10. मदिरा पर कोई चुंगी/टोल टैक्स लगता है तो बाउचर प्रस्तुत करने पर अलग से एकतरफ का भुगतान देय होगा।

11. रास्ते में गाडी खराब होने पर दूसरी गाडी व श्रमिको की व्यवस्था कर मदिरा को गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित भिजवाने की व्यवस्था सफल निविदादाता को करनी होगी।

12. परिवहन किराये का भुगतान गोदाम प्रभारी के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रभारी मदिरालय द्वारा मासिक आधार पर चैक द्वारा किया जावेगा।

13. मदिरा से भरी गाडियों को मदिरालय से रवाना होने पर अपने गन्तव्य स्थान पर सीधा पहुँचाना होगा। अगर किसी वजह से गाडी में खराबी, पंक्चर, खाना खाने इत्यादि से गाडी को कितने समय तक रोकना पडा, का रिकार्ड रखना होगा। प्रभारी मदिरालय आवश्यकता पड़ने पर यह रिकार्ड तलब कर सकते है।

14. यद्यपि मदिरालय से डिपोज की दूरी जीपीएस आधारित हैं तथापि मदिरा परिवहन वाहनों का मार्ग (रूट) कम्पनी द्वारा बताये अनुसार/आबकारी पास में लिखे अनुसार ही होगा।

15. निविदा में वही निविदादाता भाग ले सकेगा जिसके पास न्यूनतम 3 ट्रकों जो प्रत्येक 9 टन क्षमता के स्वामित्व स्वयं अथवा फर्म के नाम से हो (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कर प्रतिलिपि संलग्न करें)।

16. उपलब्ध ट्रक परिवहन विभाग द्वारा **पासशुदा, इन्श्योरेंसशुदा व अच्छी हालत** में होना चाहिये एवं वाहन चालक के पास वाणिज्यिक लाईसेंस होना अनिवार्य है। कन्साईनमेन्ट में कमी या हानि होती है तो उसकी कटौती नियमानुसार आपसे की जावेगी।

17. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई दरें पूरी अनुबन्ध अवधि के लिए मान्य रहेगी। अगर डीजल की दरों में अनुबन्ध अवधि के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक वृद्वि/कमी होती है तो प्रति लीटर पांच किलोमीटर रनिंग को आधार मानते हुये गंतव्य स्थान तक की एकतरफा दूरी के आधार पर परिवहन दरों में संशोधन किया जावेगा तथा यह संशोधन वृद्वि/कमी के 75 प्रतिशत के समकक्ष होगा तथा वास्तविक लाभ आगामी माह की प्रथम तारीख से देय होगा। संशोधन के उद्देश्य हेतु बेसिक डीजल की बेसिक दर वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक को राजस्थान में प्रति लीटर डीजल विक्रय की बाजार दर होगी।

उदाहरणार्थ–

क्रसं.	विवरण	विवरण
1	झोटवाड़ा से चौमूं कन्साइनमेंट भेजा	एक वाहन
2	परिवहन दर	3000 रू. प्रति ट्रिप एकतरफा
3	दूरी	30 किमी एकतरफा
4	डीजल की संशोधन के उद्देश्य से बेसिक दर (वित्तीय निविदा के खोलने की तिथि को राजस्थान में डीजल विक्रय की बाजार दर)	रू. 50 प्रति लिटर
5	डीजल का संशोधन के उद्देश्य से बेसिक माईलेज	5 किमी प्रति लीटर
6	उक्त तथ्यों की स्थिति में रू. 2.5 प्रति लीटर कमी/वृद्धि पर संशोधन। अर्थात रू. 47.50 या 52.50 प्रति लीटर भाव होने पर।	कोई संशोधन नहीं
7	यदि दर रू. 50 से बढकर यदि 55 हो जावे या घटकर 45 रू. प्रति लीटर हो जावे तो– 30 किमी दूरी पर डीजल की खपत 6 लीटर 6 लीटर डीजल पर वृद्धि के कारण अतिरिक्त भार 6 X 5 = 30 रू. 30 रू. 30 का 75 प्रतिशत यानि 30 X 75/100 रू. 22.50	संशोधित दर रू 3000 + 22.50 यानि 3022.50 प्रति ट्रिप एकतरफा बाजार में दर में कमी होने पर रू. 3000–22.50 यानि 2977.50 प्रति ट्रिप एकतरफा
8	वास्तविक लाभ जिस माह में कमी/वृद्धि हुई है उसके आगामी माह की पहली तारीख से देय	आगामी माह की पहली तारीख से देय

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

18. टायर, ऑयल, पार्ट्स, परिवहन से संबंधित टैक्स आदि की दरों में वृद्वि होने पर परिवहन की दरों में कोई वृद्वि नहीं की जावेगी।
19. प्रत्येक कन्साईनमेन्ट के निर्दिष्ट मदिरा गोदाम पर पूरी मात्रा में पहुंचाने की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। मदिरा त्रिपाल से ढक कर परिवहन करना होगा। भरी देशी मदिरा की बोतलों में अधिकतम 0.25 प्रतिशत एवं इसी अनुपात में अद्दे, पव्वें, रास्ता क्षति सामान्य मानी जावेगी। इससे अधिक क्षति की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की रहेगी। जिसकी वसूली निर्धारित मूल्य की दरों से की जावेगी।
20. यदि दुर्घटना की वजह से अधिक क्षति होती है तो दुर्घटना होते ही सफल निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि ईकाई प्रबन्धक/प्रभारी मदिरालय को शीघ्र सूचित करें। पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी शीघ्र सूचित करना होगा एवं मौके पर ही पंचनामा, फोटो इत्यादि बनाने की आवश्यक कार्यवाही मौके पर करेंगे। समस्त कागजात बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा कम्पनी को होने वाले नुकसान की भरपाई सफल निविदादाता को करनी होगी।
21. अनुबन्ध की अवधि में कम्पनी द्वारा कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध अवधि को आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया भी जा सकता है। निविदादाता द्वारा नियमित सेवायें नहीं देने, अवैध एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर 3 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है एवं शेष अवधि में कार्य अन्य स्त्रोतों से आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी तथा इसमें होने वाली हानि की वसूली सफल निविदादाता से की जायेगी।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में जयपुर अवस्थित न्यायालय ही मान्य होगा।
23. सफल निविदादाता द्वारा परिवहन अवधि के दौरान परिवहन कार्य हेतु मना कर दिये जाने पर जमा धरोहर राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी.सहित अन्य जमा राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
24. सफल निविदादाता को कार्यादेश लेते समय नियमानुसार रू. 1000 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
25. दर संविदा सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी, एवं आवश्यकता पडने पर उन्हीं नियमों व शर्तों के अध्याधीन एक वर्ष अतिरिक्त बढाकर अधिकतम 2 वर्ष तक की जा सकती है।
26. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
27. निविदा प्रपत्र के साथ अंकित स्थानों की न्यूनतम दूरी के आधार पर ही दरें आमंत्रित की गई है। उसी के अनुसार दर प्रस्तावित करें। साथ ही मदिरालयों से संबंधित डिपोज के अलावा अन्य विभिन्न डिपोज पर मदिरा परिवहन के लिये प्रति किलोमीटर एकतरफा दर भी देनी अनिवार्य है।
28. सामान्य शर्त एवं विशेष शर्त में यदि किसी विषय या बिंदु पर विरोधाभास हो तो विशेष शर्त ही मान्य होगी।

नोट– कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले मदिरावाहक वाहन पूर्णतया फिट होने चाहिये तथा संबंधित प्राधिकृति से सत्संबंधी प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

निविदा एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप निविदायें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दरें गन्तव्य स्थान तकएफ0ओ0आर0 उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु, चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर/जी.एस.टी. को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा मदिरा की सुपुर्दगी संस्थान के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले मदिरा कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एंव स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले मदिरा पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी मदिरा के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

4- जी.एस.टी पंजीयन आवश्यक होगा।

5. विधिमान्यता :– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
6. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले मदिरा की शर्तो, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे संस्थान को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
8. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :– (क) निविदा के साथ एनेक्सर ''एफ'' अनुसार बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   (1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

   (क) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

10. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–
(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु, निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

11. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :– (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं/सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, अनुबंध के समय पर जमा करायी जाएगी ।
(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।
(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–
(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
(5) (1) केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–
(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।
(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
(घ) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण होने की स्थिति में उस पर 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. वसूल किया जायेगा।
(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

12. बीमा :– (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दर्शा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(2) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

13. भुगतान :– (1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह मदिरा प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मदिरा अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।
(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(4)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

14. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मदिरों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा।नुकसान के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

15. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

16. संस्थान किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

17. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

18. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

19. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 100% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

अनुबंध–पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक .... माह ...., सन् 2017 को एक पक्ष के ....
....
....
(जिसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल (जिसे इसमें आगे ''संस्थान'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

2. इस अनुबंध की अवधि मदिरालय ....पर कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये है। लेकिन संस्थान को आवश्यकता होने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त बढाकर अधिकतम 2 वर्ष तक की जा सकती है।

3. चूंकि, अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल के अधीनस्थ मदिरालय **........ ....**पर, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं/सेवाओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा कार्यादेश क्रमांक **.............................** दिनांक ....में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए संस्थान से सहमत हो गया है।

4. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने शेष धरोहर राशि रूपये **..........................** निम्न प्रकार से जमा करायी है :

   (1) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या **................** दिनांक **....................** द्वारा,

5. प्रभारी मदिरालय द्वारा जितनी संख्या में प्रतिदिन, मदिरा की सप्लाई के लिए ट्रक मांगे जावे, की व्यवस्था निरन्तर की जानी होगी। अत्यावश्यक होने पर मांग के तीन घंटे के अंदर भी वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिदिन प्रातः मदिरालय खुलने पर अनुबंधदाता स्वयं/ प्रतिनिधि को मदिरालय में जाकर ट्रकों की मांग नोट कर डिमान्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे।

6. मदिरा को ले जाने हेतु प्रयुक्त केवल 9 टन क्षमता वाले वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत वैध एवं अधिकृत रूप से संचालित होने चाहिये।

7. अनुबंधकर्ता के द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिलों से नियमानुसार केन्द्रीय व राजकीय करों की वैधानिक (जैसे आयकर, जी.एस.टी आदि यदि लागू हो तो) कटौती बिलों से करके ही

भुगतान किया जावेगा तथा कोई राशि वसूली योग्य रह जाती है तो उसे जमा कराने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।

8. परिवहन किराये का भुगतान गोदाम प्रभारी के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रभारी मदिरालय द्वारा मासिक आधार पर चैक/आरटीजीएस द्वारा किया जावेगा।

9. मदिरा से भरी गाडियों को मदिरालय से रवाना होने पर अपने गन्तव्य स्थान पर सीधा पहुँचाना होगा। अगर किसी वजह से गाडी में खराबी, पंक्चर, खाना खाने इत्यादि से गाडी को कितने समय तक रोकना पडा, का रिकार्ड रखना होगा। प्रभारी मदिरालय आवश्यकता पड़ने पर यह रिकार्ड तलब कर सकते है।

10. मदिरा परिवहन वाहनों का मार्ग (रूट) कम्पनी द्वारा बताये अनुसार/आबकारी पास में लिखे अनुसार ही होगा।

11. उपलब्ध ट्रक परिवहन विभाग द्वारा पासशुदा, इन्श्योरेंसशुदा व अच्छी हालत में होना चाहिये एवं वाहन चालक के पास वाणिज्यिक लाईसेंस होना अनिवार्य है। कन्साईनमेन्ट में कमी या हानि होती है तो उसकी कटौती नियमानुसार आपसे की जावेगी।

12. प्रत्येक कन्साईनमेन्ट के निर्दिष्ट मदिरा गोदाम पर पूरी मात्रा में पहुंचाने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। मदिरा त्रिपाल से ढक कर परिवहन करना होगा। भरी देशी मदिरा की बोतलों में अधिकतम 0.25 प्रतिशत एवं इसी अनुपात में अद्दे, पव्वें, रास्ता क्षति सामान्य मानी जावेगी। इससे अधिक क्षति की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी। जिसकी वसूली निर्धारित मूल्य की दरों से की जावेगी।

13. यदि दुर्घटना की वजह से अधिक क्षति होती है तो दुर्घटना होते ही अनुबंधकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि ईकाई प्रबन्धक/प्रभारी मदिरालय को शीघ्र सूचित करें। पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी शीघ्र सूचित करना होगा एवं मौके पर ही पंचनामा, फोटो इत्यादि बनाने की आवश्यक कार्यवाही मौके पर करेंगे। समस्त कागजात बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा कम्पनी को होने वाले नुकसान की भरपाई सफल अनुबंधकर्ता को करनी होगी।

14. सफल अनुबंधकर्ता द्वारा परिवहन अवधि के दौरान परिवहन कार्य हेतु मना कर दिये जाने पर जमा धरोहर राशि एवं 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित अन्य जमा राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

15. यदि संविदा के निर्वचन , आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपनी वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

16. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

17. निविदा प्रपत्र दिनांक 15.09.2017 भी इस अनुबन्ध का भाग होगा।

इसके साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ....माह..................., सन् 2017 को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)
राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0

गवाह सं. 1

गवाह सं. 2

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

Annexure F

क्र. सं.	मदिरालय	क्र. सं.	संबंधित डिपो	मदिरालय से संबंधित डिपो की दूरी	मदिरालय वार अनुमानित व्यय (लाख रू.में)	बिड सिक्योरिटी 2 प्रतिशत (रू. में)
1	उदयपुर	1	उदयपुर	4	24.00	48000
		2	राजसमन्द	62		
		3	देवगढ	130		
		4	खेरवाड़ा	62		
		5	मावली	40		
		6	बांसवाड़ा	162		
		7	डूंगरपुर	110		
2	चित्तौडगढ	8	चित्तौडगढ	4	11.00	22000
		9	कपासन	35		
		10	डुंगला	72		
		11	बेगू	70		
		12	छोटीसादडी	60		
		13	प्रतापगढ	100		
		14	निम्बाहेड़ा	35		
3	श्रीगंगानगर	15	श्रीगंगानगर	4	15.00	30000
		16	पदमपुर	41		
		17	करणपुर	57		
		18	रायसिंहनगर	74		
		19	अनुपगढ	125		
		20	सुरतगढ	70		
4	खारां	21	खारां	0	8.00	16000
		22	नोखा	92		
		23	लूणकरणसर	52		
5	हनुमानगढ	24	हनुमानगढ	0	15.00	30000
		25	नोहर	86		
		26	भादरा	131		
6	अजमेर	27	अजमेर	0	13.00	26000
		28	किशनगढ	32		
		29	ब्यावर	52		
		30	केकडी	85		
7	भीलवाड़ा	31	भीलवाड़ा	0	16.84	33680
		32	शाहपुरा	52		
		33	माण्डलगढ	50		
		34	गंगापुर	45		

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

		35	आसींद	65		
8	अलवर	36	अलवर	0	15.00	30000
9	धौलपुर	37	धौलपुर	0	4.00	8000
10	सवाईमाधोपुर	38	सवाईमाधोपुर	0	14.00	28000
		39	गंगापुर	75		
11	झोटवाड़ा	40	झोटवाड़ा	0	50.00	100000
		41	दूदू	65		
		42	फूलेरा	55		
		43	चौमूं	30		
		44	दौसा	60		
		45	शाहपुरा	62		
		46	बांदीकुई	80		
12	सीकर	47	सीकर	0	21.31	30000
		48	फतेहपुर	60		
		49	नीमकाथाना	85		
		50	श्रीमाधोपुर	70		
		51	सुजानगढ	95		
13	झुन्झुनू	52	झुन्झुनू	0	21.12	42620
		53	नवलगढ	50		
		54	खेतडी	80		
		55	चिडावा	35		
		56	रतनगढ	100		
		57	तारानगर	120		
		58	चूरु	55		
14	बारां	59	बारां	1	12.00	24000
		60	छीपाबडौद	85		
		61	खानपुर	55		
15	मण्डोर	62	मण्डोर	0	88.20	176400
		63	फलौदी	140		
		64	जैसलमेर	305		
		65	पोकरण	180		
		66	बाडमेर	222		
		67	बालोतरा	110		
		68	पीपाड	70		
		69	जालौर	157		
		70	नागौर	140		
		71	मेड़ता	147		
		72	परबतसर	249		
		73	डीडवाना	230		
16	रानी	74	रानी	0	8.00	16000

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

		75	सोजत	105		
		76	पाली	55		
		77	जैतारण	160		
17	सिरोही	78	सिरोही	0	18.00	36000
		79	भीनमाल	90		
		80	आबूरोड़	75		

नोट – दूरियाँ जीपीएस आधारित हैं। वैकल्पिक मार्ग अनुसार दूरी कम ज्यादा हो सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure "E"

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>तकनीकी बिड चैक लिस्ट</u>

(तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1	निविदादाता का नाम	
2	हैसियत जिसके तहत निविदा प्रस्तुत की जा रही है– 1 व्यक्ति 2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न) 3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न)	
3	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न)	
4	अमानत राशि (बैंकर्स चैक / डीडी का विवरण)	
5	शर्तों की स्वीकारोक्ति में शपथ पत्र	
6	माल एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
7	3 ट्रकों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र) (केवल 9 टन क्षमता के स्वंय के नाम)	
8	पूर्व में विभिन्न सरकारी / गैर सरकारी विभाग में प्राप्त अनुभव दस्तावेज	
9	माल एवं सेवाकर(GST) / सेवाकर की नवीनतम विवरणी की प्रति	

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं सभी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर